

दलबदल मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार को एक माह की अंतिम मोहलत

- कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर
लाठी थी अमनान याचिका
मामला हाईकोर्ट में पहुंचने पर
जस्टिस रायचंद ने 26 अप्रैल 2025
को राज्य शासन को लगाई की सुनकर
दो महीने फैसला करने का निर्देश दिया
था, लेकिन न्यायाधीश को पालन नहीं हुआ,
इसके चलते अमनान याचिका काटायर की
गई. अमनान पर सुनाववा करते हुए
जस्टिस रायचंद अग्रिम में अब एक माह
की अंतिम मीलस्टोन देना सख्त चेतावनी दी
है. कोर्ट ने कहा कि यदि सबूत नहीं हुआ
भौ आदेश को पालन नहीं हुआ और
याचिकाकर्ता को फिर से कोर्ट में आना पड़े
तो तत्पश्चात और भविष्य की याचिकाओं की
लागत से संबंधित आक्रोश से ब्याक्तिगत
रूप से दखौली जागीर।

बल तैनात रहेगा और हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत देरी अहित्या बाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे को नो-फ्लाई ज़ोन घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर सहित किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने पूरे कारकेंड का क्रिया रिश्तल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक राष्ट्रपति के दौर से पहले केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने पूरे कारकेंड का रिश्तल भी किया। एयरपोर्ट आगमन से लेकर ऑफिशियल रवाना होने तक के पूरे क्रूट पर सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया है।

बापट चौराहे के आसपास का है, जहां एक बुलेट और एक एक्टिवा पर सवार युवक युवतियां हाथ में बीयर की बोतल और सिगरेट लेकर चलते वाहन पर ही शराब का सेवन कर रहे हैं.

- इमरान खान